



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235813
CG-DL-E-18052022-235813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2139]
No. 2139]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

का.आ. 2254(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH16 के किमी 62 किमी से 98 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH16 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	लैंड एक्ज्यूसन अफसर(सिभिल), कलेक्टोरिएट जाजपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16	उड़ीसा	जाजपुर	रसूलपुर	1 सड़ाम्बीला-११७

		के कि.मी. 62 से 98 तक			
--	--	-----------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th May, 2022

S.O. 2254(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 62 to Km. 98 of the NH16 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH16 in the State of ODISHA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Land Acquisition Officer (Civil), Collectorate, Jajpur	62KM To 98KM	ODISHA	Jajpur	Rasulpur	1 Sadambila-117

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16]

RAJESH GUPTA, Director